UPAL010059922026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जिला अलीगढ़।

पीठासीन अधिकारी–(PANKAJ KUMAR AGRAWAL)(उच्चतर न्यायिक सेवा)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-2764 सन् 2026

यशवन्त उर्फ अर्जुन पुत्र धर्मवीर सिंह, निवासी-ग्राम गोरई, थाना गोरई, जिला- अलीगढ़।

……..प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

……..विपक्षी/वादी

आदेश

जमानत प्रार्थना पत्र आदेशार्थ पेश हुआ। जमानत प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष को पूर्व नियत दिनांक पर सुना जा चुका है।

2- उक्त जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त **यशवन्त उर्फ अर्जुन द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 38/2026, धारा-137(2),87 भारतीय न्याय संहिता, थाना गोरई, जिला अलीगढ़** के मामले में जमानत प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

3- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थिया की 5 पुत्री व 2 पुत्र हैं, जिनमें से प्रार्थिया बड़ी बेटी के साथ गुड़गांव में रहती है तथा शेष बेटे व बेटी प्रार्थिया की ससुराल चिंतावास में प्रार्थिया की सास ओमवती देवी के पास रहते हैं। प्रार्थिया दिनांक 14.02.2026 को अपनी ससुराल आयी थी तथा दिनांक 15.02.2026 को प्रार्थिया की पुत्री (उम्र 15 वर्ष) घर से बिना बताये चली गयी। प्रार्थिया ने अपनी बेटी को काफी तलाश किया लेकिन नहीं मिली। लेकिन अब प्रार्थिया को जानकारी हुई है कि प्रार्थिया की पुत्री को यशवन्त पुत्र धर्मवीर, निवासी-गोरई, थाना गोरई, जनपद अलीगढ़, अपने साथ बहला फुसलाकर ले गया है, जिसका मोबाइल नम्बर-------088 है। अतः उपरोक्त तहरीर के आधार पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

4- अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया गया है कि, उक्त अपराध में प्रार्थी/अभियुक्त को गलत तथ्यों पर रंजिश की वजह से झूंठा फंसा दिया है। प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 22.05.2026 से जेल में है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। उक्त अपराध की घटना दिनांक 15.02.2026 अज्ञात समय की बतायी जाती है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 01.03.2026 को समय 17:42 बजे पंजीकृत की गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 14 दिन विलम्ब से दर्ज करायी गई है। उक्त वादी की घटना का कोई भी गवाह प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं दर्शाया है। अपहृता की बरामदगी प्रार्थी के कब्जे से नहीं हुई है, बल्कि घटना के कुछ दिन

बाद अपहृता स्वयं ही पुलिस थाने पर आ गयी थी। अपहृता का पुलिस ने बयान अंकित किया तथा मेडीकल कराया व धारा 183 बी०एन०एस०एस० का बयान न्यायालय में अंकित कराया गया। अपहृता ने अपने धारा 183 बी०एन०एस०एस० के बयान में अपनी मां से लड़कर स्वयं ही हरिद्वार घूमने जाना बताया है। अपहृता ने प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध कोई भी बयान नहीं दिया है। अपहृता के शरीर पर कोई भी चोटें आना नहीं दर्शाया गया है। अपहृता के बयान के आधारा पर धारा 137(2),87 बी०एन०एस० का अपराध नहीं बनता है। प्रार्थी/अभियुक्त ने उक्त मामले में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष ना तो अपना कोई जमानत आवेदन प्रस्तुत किया है ना कभी निरस्त हुआ है और ना ही विचाराधीन है। अतः उपरोक्त कथनों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है।

5- विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा गम्भीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

6- प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा प्रस्तुत केस डायरी आदि का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया।

7- प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त तहरीर में नामित अभियुक्त है। तहरीर के अनुसार वादिया मुकदमा की पुत्री (आयु 15 वर्ष) दिनांक 15.02.2026 को बिना बताये घर से चली गयी। काफी तलाश करने पर भी नहीं मिली। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि वादिया की पुत्री को अभियुक्त बहला-फुसलाकर ले गया है। वादिया मुकदमा द्वारा बयान अन्तर्गत धारा 180 बी०एन०एस०एस० में तहरीर में उल्लिखित कथनों का समर्थन किया गया है। दौरान विवेचना पीड़िता द्वारा स्वयं थाने पर आकर इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि, *"...मैं अपनी मम्मी के साथ गुणगांव में रहती थी। वहाँ पर मेरी मम्मी से झगड़ा हो गया था। मैं दिनांक 13.02.2026 को मन-मुटाव के कारण गुड़गांव से रिस्तेदारी में चली गई थी। मैं किसी के साथ नहीं गयी थी, अकेली गयी थी।"* पीड़िता द्वारा बयान अन्तर्गत धारा 180 बी०एन०एस०एस० में स्वयं से ही घर से जाने का कथन किया गया है तथा इसी आशय का कथन पीड़िता द्वारा बयान अन्तर्गत धारा 183 बी०एन०एस०एस० में भी किया गया है। केस डायरी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि पीड़िता द्वारा स्वयं अपनी मर्जी से अपना बाहरी व आन्तरिक परीक्षण कराये जाने से इंकार किया गया है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त दिनांक 22.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा गुण-दोष पर कोई विचार व्यक्त किये बिना आधार जमानत पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **यशवन्त उर्फ अर्जुन** पुत्र धर्मवीर सिंह द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु०-50,000/-रूपये (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इसी धनराशि का एक प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर, दाखिल करने पर, जमानत पर रिहा किया जाता है।

दिनांक–06.06.2026

(पंकज कुमार अग्रवाल)
ID No.-UP-1897
सत्र न्यायाधीश,
अलीगढ़।

आशुलिपिक– संगम

Digitally signed by PANKAJ KUMAR AGRAWAL
Date: 2026.05.28 15:25:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court